वार्षिक प्रतिवेदन

2015-16

(वर्ष 2014-15 सहित)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

39/1, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248013

फोन-0135-2608974 तथा फैक्स-2608973

वार्षिक प्रतिवेदन

2015-16

(वर्ष 2014-15 सहित

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

39/1, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248
फोन-0135-2608974 तथा फैक्स-2608

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–18 की उपधारा–(2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2015–16 (2014–15 सहित) के लिए यह वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह प्रतिवेदन आयोग का प्रथम प्रतिवेदन है, जो अधोहस्ताक्षरी की मुख्य आयुक्त के पद पर नियुक्ति के क्रम में दिनाँक 22 जुलाई, 2014 को उसके पदभार ग्रहण करने के उपरान्त किये गये कार्यों पर आधारित है। अधोहस्ताक्षरी सहित आयोग में श्री सुभाष जोशी आयुक्त के पद पर दिनाँक 08 अगस्त, 2014 से नियुक्त हैं। वर्ष 2014–15 में आयोग के कार्यालय को शासकीय भवन में स्थापित किये जाने हेतु पर्याप्त प्रयास किये गये। शासकीय भवन प्राप्त नहीं हो पाने की स्थिति में किराये के भवन की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि॰ के सहयोग से किराये के भवन को कार्यालय उपयोगार्थ तैयार कराया गया। साथ ही, कार्मिक व्यवस्था के प्रयास भी जारी रखे गये, जो दिनाँक 30 मार्च, 2015 को संगठनात्मक ढ़ाँचे से संबंधित शासनादेश के जारी होने पर फलीभूत हुए। इसलिए संदर्भित वर्ष में आयोग के बहुमूल्य समय का उपयोग मूल रूप से उसके कार्यालय को किराये के भवन में स्थापित करने, उसमें अवस्थापना सुविधा सुनिश्चित करने तथा उसके संगठनात्मक ढ़ाँचे को स्वीकृत कराने में व्यतीत हुआ। वर्ष 2015–16 के मध्यान्ह में तत्कालीक आवश्यकता के अनुरूप पदों को भरने के उपरान्त आयोग अपने मूल उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सका। अतः यह प्रतिवेदन मुख्यतः वर्ष 2015–16 का है, जिसमें वर्ष 2014–15 की गतिविधियों का भी समावेश किया गया है।

आयोग ने पाया कि वर्ष 2011 से वर्ष 2014 में नागरिकों के मध्य अधिनियम के प्रचार–प्रसार का अभाव रहा है। अतः आयोग के कार्यों की सूचना नागरिकों को सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु तथा अधिनियम के व्यापक प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से आयोग की वेबसाईट www.urtsc.uk.gov.in को विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विज्ञापनों को तैयार कर समाचार पत्रों में श्रृंखलाबद्ध प्रकाशन सुनिश्चित किया गया। साथ–ही–साथ, मण्डलों से माह अगस्त, 2015 से मासिक प्रगति प्रतिवेदनों को प्राप्त किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। फलःस्वरूप आयोग को नागरिकों से पर्याप्त संख्या में अनुरोध–पत्र प्राप्त होने प्रारम्भ हुए और क्षेत्रीय स्तर पर निस्तारित होने वाले सेवा आवेदनों की स्थिति आयोग के संज्ञान में आयी। इसी मध्य आयोग ने अपने सामान्य कार्यों के प्रबंधन एवं व्यवहरण हेतु अधिनियम की धारा–17(4) के अंतर्गत 'उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2015' तैयार किया।

कुल 18,70,806 आवेदन उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारियों को वर्ष 2015–16 (अगस्त, 2015 से मार्च, 2016 तक) में प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष 17,09,086 (91.36 प्रतिशत) आवेदनों को समयांतर्गत संबंधित माहों में निस्तारित किया गया। अस्वीकृत आवेदनों का प्रतिशत 0.5 से भी कम रहा। आयोग को सामान्यतः उन मामलों में अनुरोध–पत्र प्राप्त होते हैं, जिन मामलों में विलम्ब किया गया हो या आवेदन–पत्र पदाभिहित अधिकारियों द्वारा निरस्त किये गये हों। अतः वर्ष 2014–16 की अवधि में आयोग को कुल 83 अनुरोध–पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 49 मामलों को आयोग निस्तारित कर चुका है।

आयोग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण किये गये, जिससे कि पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों में नागरिकों की सुलभता हेतु लगाये गये सूचना–पटो, आवेदनों की पंजिकाओं की स्थिति, अधिनियम के अंतर्गत जारी की जा रही पावती आदि की व्यवस्था में सुधार किया जा सके। अधिनियम के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अन्य राज्यों में स्थापित आयोगों की कार्यशैली, व्यवस्था आदि का अध्ययन करने के उद्देश्य से पंजाब राज्य के आयोग एवं दिल्ली के ई–एस०एल०ए० कार्यक्रम की संचालन व्यवस्था का अध्ययन–भ्रमण किया गया।

इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही हेतु कुल 04 संस्तुतियाँ आयोग द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की गई हैं, जो इस प्रतिवेदन में अंकित हैं।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन की सफलता पदाभिहित अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारियों तथा संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के स्तर से आयोग को प्राप्त होने वाले सहयोग पर निर्भर है। इस प्रतिवेदन के माध्यम से मैं विशेष रूप से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा द्वारा आयोग को प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। आयोग में तैनात आयुक्त श्री सुभाष जोशी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सराहनीय कार्य किया है, जिसका मैं आभारी हूँ।

इस वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग के कार्मिकों तथा विशेष रूप से श्री पंकज नैथानी, सचिव को मैं उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूँ।

दिनाँक एवं स्थानः देहरादून, 02 फरवरी, 2017

(vkykd dekj tu)
मुख्य आयुक्त

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय–1 : प्रस्तावना	01–04
	भूमिका	01
	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम	02
	अधिनियम का क्रियान्वयन	03
	सेवा की प्राप्ति तथा पुनरीक्षण/शिकायत प्रक्रिया	04
2.	अध्याय–2 : आयोग एवं उसका कार्यालय	05–08
	आयोग का गठन	05
	आयोग के मुख्य कार्य	05
	आयोग की शक्तियां	06
	आयोग का कार्यालय	07
3.	अध्याय–3 : अधिनियम का क्रियान्वयन	09–24
	अधिनियम का प्रचार–प्रसार	09
	मासिक प्रगति प्रतिवेदन/अनुश्रवण	09
	निरीक्षण कार्य	14
	राज्य सरकार से समन्वय	15
	राज्य सरकार को प्रेषित संस्तुतियाँ	16
	राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव	17
	शिकायतों/प्रार्थना–पत्रों का पंजीकरण तथा निस्तारण	19
	सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	20
	अध्ययन–भ्रमण	21
	अन्य कार्य	21
	बजट	23
	अनुलग्नक	25–27
	विभागों/नागरिकों के उपयोगार्थ प्रकाशित बुकलेट/फोल्डर	25
	जिलाधिकारी कार्यालयों में लगवाये गये होर्डिंग्स	26
	नागरिकों के सूचनार्थ समाचार–पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन	27

अध्याय-1: प्रस्तावना

भूमिका

सरकारों द्वारा मूलतः अपने क्षेत्रांतर्गत निवासित नागरिकों हेतु विभिन्न अवस्थापना सुविधायें स्थापित करने, उनके समाजार्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करने तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप योजनायें/परियोजनायें आदि को लागू करने का कार्य प्रमुखता से किया जाता है। इस पृष्ठभूमि में सरकारें यह दायित्व स्वयं के लिए निर्धारित करती हैं कि वे नागरिकों को विभिन्न आवश्यक सेवायें प्रदत्त करें और इन सेवाओं के संबंध में विधि–विधान इस प्रकार लागू करायें कि पारदर्शिता, समयबद्धता एवं सरकारी तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। नागरिक–सेवा के अपने इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु सरकारें निरन्तर नवीन प्रयास करती रहती हैं। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की सरकारों ने पिछले दो दशकों के दौरान नागरिक अधिकार–पत्र (सिटीज़न चार्टर) सहित विभिन्न विधिक तंत्रों को स्थापित कर नागरिकों को सुलभता एवं सरलता से सेवाओं को उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

गत शताब्दी के नब्बे के दशक में सर्वप्रथम यूनाईटेड ब्रिटेन की सरकार ने नागरिक अधिकार–पत्र बनाने की पहल करी, जिसे आगामी समय में विभिन्न रूपों में भारत सहित अन्य राष्ट्रों यथा बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, मलेशिया, पुर्तगाल, जमैका और कनाड़ा आदि ने अपनाया। नागरिक अधिकार–पत्र के द्वारा जहाँ सरकारें नागरिक सेवा के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रदर्शित करती हैं, वहीं वे सेवा के अधिकार से संबंधित विधिक व्यवस्थायें लागू कर सेवा प्रदाता–तंत्र की जवाबदेही तथा उसकी गतिविधियों में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करती हैं।

भारत वर्ष में विभिन्न राज्यों ने इसी मूल अवधारणा को अंगीकृत करते हुए अपने–अपने राज्यों में ''सेवा का अधिकार'' से संबंधित अधिनियमों को लागू कराया है, जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक अधिसूचित सेवाओं के संबंध में दिये गये अपने आवेदन के सापेक्ष अनावश्यक समय लगने अथवा आवेदन को गलत तरीके से निरस्त किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारियों/शिकायत निराकरण–तंत्र से अपने पक्ष में निर्णय करा सकता है। इस प्रकार सरकारों ने इन विधिक व्यवस्थाओं द्वारा मात्र नागरिक सशक्तिकरण को ही प्रबलता प्रदान नहीं करी है वरन् भ्रष्टाचारी गतिविधियों को रोकने का महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम

उत्तराखण्ड राज्य की जनता को समयबद्ध रीति से सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा उससे संबंधित अनुषांगिक मामलों के लिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित किये जाने एवं महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा दि॰ 04.10.2011 को अनुमति प्रदान किये जाने के उपरांत विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 307/XXXVI(3)/2011/55(1)/2011, दि॰ 04.10.2011 द्वारा 'mÙkjk[k.M lsok dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2011* अधिसूचित किया गया, जो उक्त अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से राज्य में प्रवृत्त है। इस अधिनियम में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किये गये संशोधन पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा दि॰ 27.01.2014 को अनुमति प्रदान किये जाने के उपरांत विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 37/XXXVI(3)/2014/06(1)/2014, दि॰ 27.01.2014 के द्वारा ^mÙkjk[k.M lsok dk vf/kdkj ¼l'kks/ku½ vf/kfu;e] 2014* अधिसूचित है।

अधिनियम में कुल 21 धारायें हैं। कतिपय मुख्य धारायें निम्नानुसार हैंः–

- धारा–3ः इसके अंतर्गत राज्य सरकार को सेवायें, उनसे संबंधित पदाभिहित अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के पदनाम तथा प्रत्येक सेवा हेतु समय–सीमा का निर्धारण कर अधिसूचित करना है।
- धारा–4ः पदाभिहित अधिकारी द्वारा समय–सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध कराना।
- धारा–5ः सेवा को प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया।
- धारा–9ः द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा शास्ति लगाने तथा प्रशासनिक कार्यवाही संस्तुत करने का अधिकार।
- धारा–10ः पात्र व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण अथवा उसकी शिकायत का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान।
- धारा–12 एवं 13ः राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन से संबंधित।
- धारा–17ः आयोग की शक्तियों और कृत्य से संबंधित।
- धारा–18ः आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा विचार तथा कृत कार्यवाही से आयोग को सूचित करना। आयोग द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट को राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर रखा जाना।
- धारा–20ः राज्य सरकार को अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति।

अधिनियम का क्रियान्वयन

अधिनियम की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्याः 1337/XXXI(13)G/2011, दि॰ 28.10.2011 द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आवास विभाग (नगर एवं ग्राम नियोजन सहित), परिवहन विभाग, पेयजल विभाग, समाज कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग, विद्यालयी शिक्षा विभाग तथा गृह विभाग की कुल 94 सेवाओं को अधिसूचित किये जाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अधिसूचना द्वारा प्रत्येक सेवा हेतु समय–सीमा तथा उससे संबंधित पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पदनाम का निर्धारण सुनिश्चित किया गया है। जन–सामान्य को सेवा प्रदान करने वाले तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु अधिनियम की धारा–12 तथा धारा–13 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकार ने सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 164/XLIII(1)/14–20(01)/2014, दि॰ 13.03.2014 के द्वारा ^mÙkjk[k.M lsok dk vf/kdkj vk;ksx* का गठन मार्च, 2014 में किया है।

अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 1353/XXXI(13)G/2011, दि॰ 31.10.2011 एवं संख्याः 1389/XXXI(13)G/2011, दि॰ 01.11.2011 द्वारा निम्न निर्देश विभागों तथा मण्डलों/जनपदों को जारी किये गये हैं:–

- संबंधित विभाग के सचिव यह सुनिश्चित करें कि विभागीय अधिसूचित सेवायें तथा समय–सीमायें उनके विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित हों।
- संबंधित विभागाध्यक्ष अपने अधीन समस्त कार्यालयों में नागरिकों की सुविधा हेतु पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम आदि की स्पष्ट सूचना का सूचना–पट लगवाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी संबंधित सेवा के आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी अपने कार्यालय के सूचना–पट पर प्रदर्शित करें।
- प्राप्त आवेदन–पत्रों और उन पर कृत कार्यवाही का विवरण रखने हेतु पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एव द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के स्तर पर पंजिकायें बनाई जायें।
- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी अपने मण्डल/जनपद में अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और उनके निस्तारण की समीक्षा अपनी मासिक विभागीय समीक्षा बैठक में अवश्य करें।

- मण्डलायुक्त संकलित मासिक प्रगति प्रतिवेदन शासन/आयोग को उपलब्ध करायें।

सेवा की प्राप्ति तथा पुनरीक्षण/शिकायत प्रक्रिया

अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवा को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति (नागरिक) सर्वप्रथम पदाभिहित अधिकारी को आवेदन करता है। प्रत्येक आवेदन–पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 1353/XXXI(13)G/ 2011, दि॰ 31.10.2011 के द्वारा निर्धारित प्रारूप–2 पर आवेदक को पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय द्वारा पावती दी जानी प्राविधानित है। आवेदन–पत्र प्राप्त एवं पूर्ण होने की स्थिति में निर्धारित समय–सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा उपलब्ध करायी जानी है। परन्तु किसी कारण से आवेदन–पत्र खारिज किये जाने पर अथवा समय–सीमा के उल्लंघन होने पर आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और तदोपरान्त आवश्यकता पड़ने पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी से सेवा उपलब्ध कराने हेतु अपील कर सकता है। संबंधित सेवा को उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया में सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी ने अधिनियम के अधीन बिना पर्याप्त और समुचित कारणों के अपने कृत्यों के निर्वह्न में विलम्ब किया हो, तो यह समाधान हो जाने पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी उसके विरूद्ध शास्ति अधिरोपित कर सकता है और कृत्यों के निर्वह्न में असफल हो जाने की स्थिति में शास्ति अधिरोपण सहित अनुशासनिक कार्यवाही भी संस्तुत की जा सकती है। आवेदक को यह सुविधा प्रदत्त है कि वह द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट रहने पर आयोग के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत करे अथवा अपील–प्रक्रिया का परित्याग कर सीधे आयोग से पदाभिहित अधिकारी के संबंध में शिकायत दर्ज करे। आयोग इस प्रकार प्राप्त शिकायतों एवं पुनरीक्षणों पर सुनवाई कर मामलों का निस्तारण करता है। आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, जो उसे समाचार–पत्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के माध्यम से प्राप्त हों।

अध्याय-2: आयोग एवं उसका कार्यालय

आयोग का गठन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–20, वर्ष 2011) की धारा–12 'आयोग का गठन' के अंतर्गत राज्य सरकार आयोग का गठन कर सकती है तथा धारा–13 'आयोग की संरचना' में मुख्य आयुक्त एवं 02 आयुक्तों की तैनाती का प्राविधान हैं। इन प्राविधानों के अंतर्गत सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 164/XLIII(1)/14–20(01)/2014, दि॰ 13.03.2014 के द्वारा ^mÙkjk[k.M lsok dk vf/kdkj vk;ksx* का गठन किया गया है।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा–12(1) एवं धारा–15 के प्राविधानांतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लिये प्रथम ^e[; vk;qä* की नियुक्ति सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 451/XLIII(1)/14–20(01)/2014, दि॰ 17.07.2014 द्वारा की गयी है। इसके उपरांत सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 500/XLIII(1)/14–20(02)/2014, दि॰ 07.08.2014 के द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में 01 ^vk;qä* को नियुक्त किया गया है।

आयोग के मुख्य कार्य

आयोग एक निगमित निकाय है, जिसका प्रधान कार्यालय देहरादून में अवस्थित है। मुख्य आयुक्त को आयोग के कार्यों के व्यवहरण में सामान्य पर्यवेक्षण और निर्देशन की शक्तियाँ प्रदत्त हैं। आयोग को मूल रूप से अधिनियम के प्राविधानों को लागू कराने तथा जन–सामान्य को सेवाऐं सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को संस्तुतियाँ प्रेषित करने का दायित्व प्राप्त है।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–17 में निर्दिष्ट आयोग के कतिपय मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैः–

- पुनरीक्षणों को दाखिल और निस्तारित करना।
- पदाभिहित अधिकारी के सेवा को उपलब्ध कराने मे असफल होने पर स्वतः संज्ञान लेना तथा शिकायतों का निस्तारण।

- सेवाओं को उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यालयों/प्राधिकारियों का निरीक्षण।
- सेवा प्रदान करने में असफल होने वाले कार्मिकों के विरूद्ध राज्य सरकार को विभागीय कार्यवाही की संस्तुति।
- सेवाओं की उपलब्धता को अधिक पारदर्शी और सरल करने हेतु प्रक्रियाओं में संशोधन संस्तुत करना।
- अधिसूचित सेवाओं में उपान्तरण तथा अतिरिक्त सेवाओं को अधिसूचित करने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देना।
- अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समुचित आधार उपलब्ध होने पर स्वतः जाँच।

आयोग की शक्तियाँ

जब आयोग किसी मामले की जाँच कर रहा हो तो उसे अधिनियम की धारा–17(3) के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के परीक्षण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियों के अनुरूप शक्तियाँ निहित होंगी। अतः आयोग को निहित कतिपय महत्वपूर्ण शक्तियाँ निम्न प्रकार हैः–

- व्यक्तियों को समन और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, शपथ–पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने तथा अभिलेखों अथवा वस्तुओं को प्रस्तुत करने की शक्ति।
- अभिलेखों के निरीक्षण और खोज की अपेक्षा करने की शक्ति।
- शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति।
- किसी लोक अभिलेख या प्रतियों की माँग करने की शक्ति।
- गवाहों अथवा दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करने की शक्ति।

धारा–17(4) में प्राविधानित है कि आयोग अपने व्यवहरण के संचालन तथा किसी मामले में जैसा वह उचित समझे विनियम बना सकता है।

आयोग का कार्यालय

नवसृजित आयोग को यथा अपेक्षित विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, जो कार्यालय स्थापना तथा अवस्थापना सुविधा एवं कार्मिक व्यवस्था से संबंधित रहीं। प्रारम्भ में 01 निजी सचिव (जो अक्टूबर, 2014 को सेवानिवृत हो गये) और 01 समीक्षा अधिकारी (जो तैनाती के कुछ समय उपरान्त स्वास्थ्य लाभ हेतु अवकाश पर चले गये और जिन्होंने बाद में अपने मूल विभाग में तैनात किये जाने हेतु निवेदन किया) की तैनाती आयोग को सहयोग प्रदान करने हेतु की गई। सचिव का प्रभार भी प्रथमतः शासन में तैनात अपर सचिव (संस्कृत शिक्षा) के पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में रहा। तदोपरान्त कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्याः 547/XXX–2– 2014, दि॰ 20.11.2014 द्वारा पूर्णकालिक सचिव को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने के आदेश जारी हुए। यद्यपि, इनके पास लगभग 3½ माह सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का प्रभार भी रहा। शासकीय भवन आवंटित नहीं हो पाने की स्थिति में प्रथमतः सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा के स्टॉफ कक्ष से ही सचिव ने आयोग का संचालन किया। इस मध्य औपचारिक कार्यवाही पूर्ण कराते हुए किराये के भवन में आयोग का कार्यालय स्थापित किया गया। कार्मिकों के अभाव में आयोग का कार्यालय तैयार कराना आसान न था। अतः फर्नीचर, दूरभाष उपकरणों, पार्टीशन/केबिन निर्माण, विद्युत व्यवस्था आदि आवश्यक कार्यों को उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि॰ से कराया गया।

वर्ष 2014–15 की अधिकाँश अवधि तक आयोग को आवंटित बजट का आहरण–वितरण वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सचिवालय प्रशासन द्वारा किया गया। माह मार्च, 2015 में तत्कालीन आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा अवशेष बजट समर्पण के उपरान्त आयोग के सचिव को नया डी॰डी॰ओ॰ कोड आवंटित करते हुए शासन द्वारा मार्च, 2015 के मध्य में धनराशि अवमुक्त की गई। इस अल्प अवधि में प्राप्त बजट का उपयोग निम्न कार्यों हेतु सुनिश्चित हो सकाः–

- उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि॰ को भुगतान।
- मुख्य आयुक्त के शासकीय उपयोगार्थ वाहन क्रय की कार्यवाही, जो दर परिवर्तन एवं बजट अभाव के कारण प्रभावित थी, का क्रय आवश्यक धनावंटन सुनिश्चित कराकर किया गया।
- आयोग के पास अपना कोई उपकरण नहीं था। अतः प्राथमिकता पर उच्च अधिकारियों के उपयोगार्थ लैपटॉप क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की गई।
- कार्यालय उपयोगार्थ लेखन–सामग्री आदि की व्यवस्था।

आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्मिक व्यवस्था हेतु मुख्य आयुक्त के पत्राँक सं॰:03/पी॰एस॰/मु॰आ॰से॰अ॰आ॰/2014, दि॰ 22 जुलाई, 2014 द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया। अन्ततः सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं॰: 482/XLIII(1)/15–20(05)14, दि॰ 30.03.2015 द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के संगठनात्मक ढ़ाँचे को स्वीकृति वर्षान्त 2014–15 में प्राप्त हो सकी। विभिन्न स्तर के कुल 33 पदों का सृजन प्रथमतः दि॰ 29.02.2016 तक के लिए हुआ।

आयोग के कार्यालय में वित्तीय कार्यों के निष्पादन एवं पर्यवेक्षण हेतु निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के कार्यालय आदेश संख्याः 330/13(4)II/106/नि॰को॰पें॰एवं ह॰/2015, दि॰ 07.05.2015 द्वारा वित्त अधिकारी की आयोग में तैनाती की गयी।

आयोग की आवश्यकतानुसार एवं उसके कार्यों में हुई वृद्वि के अनुरूप ढ़ाँचे में स्वीकृत विभिन्न स्तर के पदों के सापेक्ष भर्ती समय–समय पर की गईं हैं। अधिकतर भर्ती उपनल तथा पी॰आर॰डी॰ से आऊटसोर्स के आधार पर क्रियान्वित हुईं तथा आऊटसोर्स से इतर पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती पारदर्शी व्यवस्था अंतर्गत चयन कराकर क्रियान्वित की गईं हैं। दिनाँक 31 मार्च, 2015 तथा 31 मार्च, 2016 को भरे पदों की स्थिति निम्न तालिका के अनुसार हैः–

तालिका-1: आयोग में स्वीकृत तथा भरे पदों की स्थिति

Øñ lñ	inuke	lftr in	fnñ 31-03-2015 dk Hkj: inksa dh fLFkfr	fnñ 31-03-2016 dk Hkj: inksa dh fLFkfr
1-	सचिव	01	01	01
2-	संयुक्त सचिव	01	-	-
3-	उप सचिव	01	-	-
4-	वित्त अधिकारी	01	-	01¼vfrfjDr iHkkj½
5-	अनुभाग अधिकारी	02	-	-
6-	निजी सचिव	02	-	-
7-	समीक्षा अधिकारी	02	-	02
8-	वैयक्तिक सहायक	04	-	01
9-	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	-	01
10-	वाहन चालक	05	-	02
11-	अनुसेवक	08	-	05
12-	सुरक्षा गार्ड	04	-	03
;kx		**33**	**01**	**16**

अध्याय-3: अधिनियम का क्रियान्वयन

आयोग का विजनः ^^ukxfjd&dsfUnzr lsokvksa dks iHkkoh’kkyh ,oa le;kfpr rjhds ls inku djus gsrq l’kklu lqfuf’pr djukA**

आयोग का मिशनः ^^ukxfjdksa dks ukxfjd&dsfUnzr lsokvksa dk vf/kdkj ds :i esa ekax djus gsrq izfjr djuk] rFkk lsok iznkrk ra= dks ukxfjdksa ds izfr mÙkjnk;h ,oa tokcns;h cukukA**

अधिनियम का प्रचार-प्रसार

नागरिकों के मध्य उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता आयोग को प्रतीत होने के फलस्वरूप निम्न कार्यों को वर्ष 2015–16 में सम्पादित किया गया हैः–

- विभिन्न विज्ञापनों को तैयार कर विज्ञापन एजेन्सी के माध्यम से समाचार पत्रों में श्रृंखलाबद्ध प्रकाशन माह जनवरी, 2016 से मार्च, 2016 के मध्य किया गया।
- जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालयों से समन्वय कर उनके कार्यालय परिसर में होर्डिंग स्थापित कराये गये।
- प्रचार सामग्री यथा पैम्फलेट एवं पुस्तिकाओं का प्रकाशन/वितरण।

मासिक प्रगति प्रतिवेदन/अनुश्रवण

आयोग के गठन से पूर्व अधिनियम के अंतर्गत कृत कार्यों का अनुश्रवण प्रथमतः शासन में सामान्य प्रशासन विभाग एवं तदोपरान्त सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग द्वारा किया जाता रहा। जनपदों/मण्डलों द्वारा पूर्व में प्रेषित मासिक प्रगति प्रतिवेदनों का संकलन आयोग को प्राप्त नहीं कराया गया है। अतः इस कड़ी में यह प्रयास रहा है कि पूर्व वर्षों/माहों के मासिक प्रगति प्रतिवेदन जनपदों/मण्डलों से प्राप्त कर संकलित किये जायें। परन्तु विगत वर्षों (2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15) में अनुश्रवण का संभवतः अभाव रहा है, जिस कारण आयोग की माँग के अनुसार कतिपय जनपद/मण्डल पूर्व वर्षों/माहों के समस्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।

आयोग को प्राप्त हुए गत वर्षों के मासिक प्रगति प्रतिवेदनों पर आधारित वर्षवार एवं जनपदवार निम्न तालिकाओं में प्रदर्शित हैः–

तालिका–2: वर्ष 2011 (माह नवम्बर से दिसम्बर तक)

जनपद/राज्य	पदाभिहित अधिकारी को पूर्णरूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या				प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर		द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर	
	प्राप्त	निस्तारित	अस्वीकृत	अनिस्तारित	प्राप्त	निस्तारित	प्राप्त	निस्तारित
पौडी	12302	11524	0	778	0	0	0	0
रुद्रप्रयाग	9660	9334	0	326	0	0	0	0
चमोली	6995	6750	9	236	0	0	0	0
टिहरी	7068	6362	0	706	0	0	0	0
उत्तरकाशी	40994	39803	0	1191	0	0	0	0
देहरादून	5721	4939	0	782	0	0	0	0
हरिद्वार	7898	7039	0	1826	0	0	0	0
अल्मोड़ा	14326	12274	74	1978	0	0	0	0
पिथौरागढ	15142	14452	19	671	0	0	0	0
बागेश्वर	6795	6200	21	574	0	0	0	0
नैनीताल	13822	9844	36	3942	0	0	0	0
चम्पावत	11826	11339	10	477	0	0	0	0
ऊधमसिंह नगर	12365	11472	196	667	0	0	0	0
mRrjk[k.M	**164914**	**151332**	**365**	**14154**	**0**	**0**	**0**	**0**

तालिका–3: वर्ष 2012 (माह जनवरी से दिसम्बर तक)

जनपद/राज्य	पदाभिहित अधिकारी को पूर्णरूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या				प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर		द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर	
	प्राप्त	निस्तारित	अस्वीकृत	अनिस्तारित	प्राप्त	निस्तारित	प्राप्त	निस्तारित
पौडी	109644	107607	8	2029	0	0	0	0
रुद्रप्रयाग	75657	73443	5	2185	0	0	0	0
चमोली	78995	77528	0	1467	8	0	0	0
टिहरी	124375	114490	1546	9876	1	0	0	0
उत्तरकाशी	58491	54411	0	4080	1	0	0	0
देहरादून	106011	87126	0	18885	0	0	0	0
हरिद्वार	34884	34935	0	12407	19	19	7	7
अल्मोड़ा	92242	75454	184	16604	0	0	0	0
पिथौरागढ	147599	133015	1194	13390	0	0	0	0
बागेश्वर	50528	45443	32	5053	0	0	0	0
नैनीताल	223500	188126	249	35016	0	0	0	0
चम्पावत	38456	35667	35	2756	0	0	0	0
ऊधमसिंह नगर	493062	472765	4038	16255	0	0	0	0
mRrjk[k.M	**1633444**	**1500010**	**7291**	**140003**	**29**	**19**	**7**	**7**

तालिका–4: वर्ष 2013 (माह जनवरी से दिसम्बर तक)

जनपद/राज्य	पदाभिहित अधिकारी को पूर्णरूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या				प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर		द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर	
	प्राप्त	निस्तारित	अस्वीकृत	अनिस्तारित	प्राप्त	निस्तारित	प्राप्त	निस्तारित
पौडी	136904	131981	32	4891	0	0	0	0
रुद्रप्रयाग	60855	59633	46	1840	0	0	0	0
च्मोली	76872	75968	0	903	2	0	0	0
टिहरी	146531	136248	3485	10281	0	0	0	0
उत्तरकाशी	41563	39043	0	2526	9	0	0	0
छेहरादून	161922	114874	0	47053	0	0	0	0
हरिद्वार	32570	32471	0	12712	18	16	5	4
अल्मोड़ा	115471	100489	8	14998	0	0	0	0
पिथौरागढ	159750	141617	318	17815	0	0	0	0
बागेश्वर	55421	48905	13	6503	0	0	0	0
नैनीताल	51457	33760	16	17681	0	0	0	0
चम्पावत	48454	47159	0	1295	0	0	0	0
ऊधमसिंह नगर	276829	266920	125	9784	0	0	0	0
mRrjk[k.M	**1364599**	**1229068**	**4043**	**148282**	**29**	**16**	**5**	**4**

तालिका–5: वर्ष 2014 (माह जनवरी से दिसम्बर तक)

जनपद/राज्य	पदाभिहित अधिकारी को पूर्णरूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या				प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर		द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर	
	प्राप्त	निस्तारित	अस्वीकृत	अनिस्तारित	प्राप्त	निस्तारित	प्राप्त	निस्तारित
पौडी	206584	199863	152	6569	0	0	0	0
रुद्रप्रयाग	73631	71317	48	2679	0	0	0	0
चमोली	68801	67528	34	1228	0	0	0	0
टिहरी	157330	145359	0	11864	0	0	0	0
उत्तरकाशी	101899	87356	0	14543	0	0	0	0
देहरादून	198389	128939	0	68454	0	0	0	0
हरिद्वार	34723	34248	0	15255	5	7	5	7
अल्मोड़ा	182512	152948	0	29563	0	0	0	0
पिथौरागढ	164943	160785	214	3944	0	0	0	0
बागेश्वर	60703	52146	3	8457	0	0	0	0
नैनीताल	297687	241708	0	55979	0	0	0	0
चम्पावत	48369	47508	0	857	0	0	0	0
ऊधमसिंह नगर	188185	180582	111	7498	4	0	0	0
mRrjk[k.M	**1783756**	**1570287**	**562**	**226890**	**9**	**7**	**5**	**7**

तालिका–6: वर्ष 2015 (माह जनवरी से दिसम्बर तक)

जनपद/राज्य	पदाभिहित अधिकारी को पूर्णरूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या				प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर		द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर	
	प्राप्त	निस्तारित	अस्वीकृत	अनिस्तारित	प्राप्त	निस्तारित	प्राप्त	निस्तारित
पौडी	182006	176056	197	5743	0	0	0	0
रुद्रप्रयाग	91915	90175	128	1612	0	0	0	0
चमोली	77369	74797	0	2703	0	0	0	0
टिहरी	173134	158582	83	14469	0	0	0	0
उत्तरकाशी	61554	56934	0	4620	0	0	0	0
देहरादून	157293	138477	0	20015	2	0	0	0
हरिद्वार	22572	22602	0	9638	1	1	3	3
अल्मोड़ा	180529	160564	664	19301	0	0	0	0
पिथौरागढ	161814	153730	783	7319	0	0	0	0
बागेश्वर	71987	65802	9	6185	0	0	0	0
नैनीताल	48831	46799	0	2032	0	0	0	0
चम्पावत	58447	56753	0	1764	0	0	0	0
ऊधमसिंह नगर	654830	605826	3391	45625	0	0	0	0
mRrjk[k.M	**1942281**	**1807097**	**5255**	**141026**	**3**	**1**	**3**	**3**

तालिका–7: वर्ष 2016 (माह जनवरी से मार्च तक)

जनपद/राज्य	पदाभिहित अधिकारी को पूर्णरूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या				प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर		द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर	
	प्राप्त	निस्तारित	अस्वीकृत	अनिस्तारित	प्राप्त	निस्तारित	प्राप्त	निस्तारित
पौडी	46778	41806	0	4972	0	0	0	0
रुद्रप्रयाग	16882	16213	0	669	0	0	0	0
चमोली	18507	17814	0	373	320	0	0	0
टिहरी	44706	38335	9	6362	0	0	0	0
उत्तरकाशी	10935	8533	0	2402	0	0	0	0
देहरादून	47039	39066	0	7973	0	0	0	0
हरिद्वार	119983	113996	0	5523	58	0	0	0
अल्मोड़ा	28943	23762	713	4468	0	0	0	0
पिथौरागढ	34644	34035	62	547	0	0	0	0
बागेश्वर	12110	10887	0	1218	0	0	0	0
नैनीताल	0	0	0	0	0	0	0	0
चम्पावत	11771	11604	0	167	0	0	0	0
ऊधमसिंह नगर	69555	62581	831	6143	0	0	0	0
mRrjk[k.M	**461853**	**418632**	**1615**	**40817**	**378**	**0**	**0**	**0**

तालिका–8: वर्ष 2011 (नवम्बर) से वर्ष 2016 (मार्च) तक

जनपद/राज्य	पदाभिहित अधिकारी को पूर्णरूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या				प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर		द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर	
	प्राप्त	निस्तारित	अस्वीकृत	अनिस्तारित	प्राप्त	निस्तारित	प्राप्त	निस्तारित
पौडी	694218	668837	389	24982	0	0	0	0
रुद्रप्रयाग	328600	320115	227	9311	0	0	0	0
चमोली	327539	320385	43	6910	330	0	0	0
टिहरी	653144	599376	5123	53558	1	0	0	0
उत्तरकाशी	315436	286080	0	29362	10	0	0	0
देहरादून	676375	513421	0	163162	2	0	0	0
हरिद्वार	252630	245291	0	57361	101	43	20	21
अल्मोड़ा	614023	525491	1643	86912	0	0	0	0
पिथौरागढ	683892	637634	2590	43686	0	0	0	0
बागेश्वर	257544	229383	78	27990	0	0	0	0
नैनीताल	635297	520237	301	114650	0	0	0	0
चम्पावत	217323	210030	45	7316	0	0	0	0
ऊधमसिंह नगर	1694826	1600146	8692	85972	4	0	0	0
mRrjk[k.M	**7350847**	**6676426**	**19131**	**711172**	**448**	**43**	**20**	**21**

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारियों को वर्ष 2011 (नवम्बर) से वर्ष 2016 (मार्च) तक कुल 73,50,847 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके सापेक्ष 66,76,426 (90.82 प्रतिशत) आवेदनों को समयांतर्गत संबंधित माहों में निस्तारित किया गया। अस्वीकृत आवेदनों का प्रतिशत लगभग 0. 26 रहा। कुल 7,11,172 आवेदन समयांतर्गत पदाभिहित अधिकारियों द्वारा निस्तारित नहीं किये जा सके, जिसका मूल कारण यह संभावित है कि वे मासान्त के आस–पास प्राप्त हुए हों।

अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर प्राप्त हो रही अपीलों की संख्या का कम रहना अध्ययन का विषय है। इस संबंध में आयोग ने शासन का ध्यानाकर्षण निम्न संभावित कारणों की ओर किया है:–

- संभवतः विभागों में प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों को अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत पदाभिहित अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में निरस्त न किया जा रहा हो।
- अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर पदाभिहित अधिकारियों के कार्यों का गहन अनुश्रवण विभागीय समीक्षाओं के दौरान नहीं किया जा रहा हो।
- ऐसा आभासित होता है कि जन–सामान्य के मध्य अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के व्यापक प्रचार–प्रसार का अभाव अधिनियम के लागू होने के वर्ष 2011 के उपरान्त से ही रहा।

- पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों में विभिन्न सेवाओं से संबंधित आवेदनों, वांछित दस्तावेजों आदि का विवरण प्रदर्शित न हो और अपील के विभिन्न स्तर आवेदनकर्ता को स्पष्ट रूप से न बताये जा रहे हों।

- क्षेत्रीय कर्मचारियों के प्रभाव के अंतर्गत जन–सामान्य अपील प्रस्तुत करने में अपने को असमर्थ पाता हो, जबकि उसे सेवा की माँग एक अधिकार के रूप में करने हेतु प्रेरित किया जाना है।

निरीक्षण कार्य

राज्य में सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निस्तारित किये जा रहे नागरिकों के आवेदनों की व्यवस्था तथा पदाभिहित अधिकारियों के स्तर पर बनाये गये अभिलेखों एवं उनके कार्यालयों के निरीक्षण हेतु जनपद टिहरी (07–09 दिसम्बर, 2015) एवं उत्तरकाशी (06–08 जनवरी, 2016) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणों के दौरान पाये गये निम्न सुधार बिन्दुओं को मुख्य आयुक्त के अर्द्ध॰प॰सं॰: 74/16–15(06)/2016, दि॰ 18.02.2016 द्वारा संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को प्रेषित किया गया:–

- यद्यपि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या: 1337/XXXI(13)G/2011, दि॰ 28.10.2011 में पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पदनाम अंकित हैं, परन्तु इनकी विस्तृत जानकारी के अभाव में नागरिकों को आवेदन करने तथा अधिनियम के अंतर्गत अपील करने में कठिनाई दृष्टिगत् हुई है। अतः इस संदर्भ में अपेक्षा है कि विभागीय वेबसाईट एवं प्रत्येक जनपद में स्थित स्थानीय कार्यालयों में नामित पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों का नाम, पदनाम व दूरभाष/मोबाईल संख्या आदि की सूचना अपलोड/प्रदर्शित करायें। किसी अधिकारी/प्राधिकारी के स्थानांतरण, सेवानिवृत होने आदि पर उक्त सूचना अविलम्ब संशोधित की जाये।
- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–11 के अनुसार– ''जनता की सूचना के लिए संबंधित विभाग के सचिव द्वारा स्थानीय और वेबसाईट पर सेवाओं और दिए गए समय की अवधि को दर्शाया जाएगा।'' क्षेत्रीय निरीक्षणों में यह पाया गया है कि इस प्राविधान का परिपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। अतः अपेक्षा की जाती है कि विभाग की वेबसाईट तथा स्थानीय कार्यालयों में अधिसूचित

सेवाओं एवं उनको आवेदक को प्रदत्त किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि को आवश्यक रूप से प्रदर्शित किया जाय।

- विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत स्थापित व्यवस्था, प्राप्त आवेदन–पत्रों, निर्धारित पंजिकाओं आदि का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। अतः इस आशय के आदेश जारी किये जाने उचित होंगे कि विभागीय उच्चाधिकारी क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आवश्यक रूप से अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन का अनुश्रवण सुनिश्चित करें। साथ ही, यह भी उचित होगा कि प्रत्येक नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपने अधीन पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों का प्रत्येक माह में यथासंभव 01 बार आवश्यक रूप से निरीक्षण करे।
- विभागों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत शासनादेश सं॰: 1353/XXXI(13)G/ 2011, दि॰ 31.10.2011 द्वारा निर्धारित प्रारूप–2 के अनुसार आवेदकों को पावतियाँ जारी नहीं की जा रही हैं अथवा पावती के विभिन्न प्रारूप बनाये गये हैं। जन–सामान्य को दी जा रही सेवाओं के संबंध में आवश्यक है कि आवेदक को निर्गत की जाने वाली पावतियाँ प्रारूप–2 के अनुसार हों।
- विभागों द्वारा अधिकाँश अधिसूचित सेवाओं के आवेदन–पत्रों की प्राप्ति एवं निस्तारण दस्ती व्यवस्था से किया जा रहा है। विभाग की अधिसूचित समस्त सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करते हुए उन्हें नागरिकों को ऑनलाईन प्रदान करने तथा लंबित प्रार्थना–पत्रों की ऑनलाईन–ट्रैकिंग की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करा लें।

राज्य सरकार से समन्वय

अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों, आयोग की गतिविधियों/आवश्यकताओं आदि तथा आयोग के महत्वपूर्ण सुझावों पर सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा के सम्मुख दिनाँक 14 सितम्बर, 2015 को आयोग के सचिव द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया।

अन्य राज्यों में लागू अधिनियमों के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं की सूची के तुलनात्मक विश्लेषण से आयोग को यह आभासित हुआ है कि अन्य राज्यों में अधिसूचित अनेक सेवाएं ऐसी हैं, जिन्हें उत्तराखण्ड राज्य में अधिसूचित किया जाना शेष है। अतः 03 ऐसे राज्यों, जहाँ अधिकतम सेवाएं अधिसूचित हैं, में विभाग से संबंधित अधिसूचित सेवाओं की सूची अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को आयोग के पत्राँकः 73/16–15(06)/2016, दि॰ 18.02.2016 द्वारा इस आशय से संलग्न उपलब्ध करायी गयीं कि

वे सेवाएं चिन्हित की जायें, जो उत्तराखण्ड में विभाग द्वारा प्रदत्त की जा रही है, परंतु अभी अधिसूचित नहीं की गयी हैं। ऐसी प्रत्येक सेवा को अधिसूचित करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी चिन्हित कर नागरिकों को सेवा प्रदत्त करने हेतु समय निर्धारित करने की कार्यवाही की जाय।

राज्य सरकार को प्रेषित संस्तुतियाँ

आयोग ने अपनी बैठक दिनाँक 10 फरवरी, 2016 में संस्तुत किये गये 04 विषयों को मुख्य आयुक्त के अर्द्ध॰प॰सं॰: 64/16–15(06)/2016, दि॰ 16.02.2016 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया। आयोग द्वारा की गई संस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं:–

- I Lrfr&1:
  नागरिकों को प्रदत्त की जा रही सेवाओं में दस्तावेजों के स्व–प्रमाणीकरण को बल देते हुए शपथ–पत्र/घोषणा–पत्र तथा राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापन की व्यवस्था पर राज्य में रोक लगायी जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था मूलतः उन सेवाओं पर लागू हो सकेगी, जहाँ विधि द्वारा किसी प्रकार की बाध्यता न हो।
- I Lrfr&2:
  यद्यपि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है, परन्तु अधिनियम में आयोग को शास्ति अधिरोपित करने का स्पष्ट प्राविधान नहीं है। आयोग स्तर पर मात्र अपीलों के सापेक्ष पुनरीक्षण ही नहीं होता है, वरन् आयोग मामलों का स्वतः संज्ञान ले सकता है एवं शिकायतों पर सीधे पदाभिहित अधिकारी को आदेशित कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आयोग को भी शास्ति लगाने का अधिकार प्राप्त हो। पंजाब राज्य का सेवा का अधिकार अधिनियम मूलतः उत्तराखण्ड के अधिनियम से मेल खाता है। पंजाब में आयोग को शास्ति लगाने का अधिकार प्रारम्भ से प्राप्त नहीं रहा, परन्तु वर्ष 2014 में अधिनियम को संशोधित कर पंजाब के आयोग को यह अधिकार प्रदत्त किया गया है। यह प्राविधान उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू कराया जाय।
- I Lrfr&3:
  अधिनियम के अंतर्गत शासनादेश सं॰: 1353/XXXI(13)G/2011, दि॰ 31.10.2011 द्वारा निर्धारित प्रारूप–2 के अनुसार आवेदकों को पावतियाँ जारी नहीं की जा रही हैं अथवा पावती के विभिन्न प्रारूप बनाये गये हैं। आवेदक को निर्गत की जा रही पावतियों में एकरूपता लाने के दृष्टिगत आयोग ने नवीन प्रारूप शासन को प्रेषित करते हुए यह संस्तुत किया कि विभागों को यह निर्देश जारी किये जायें कि

ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से जन–सामान्य को दी जा रही सेवाओं के संबंध में आवेदक को निर्गत की जाने वाली पावती नवीन प्रारूप पर ही जारी की जायें और इसमें विशिष्ट आवेदन संख्या एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पता अवश्य अंकित रहे।

- <u>lLrfr&4</u>:
  वर्तमान में अधिकाँश अधिसूचित सेवाओं के आवेदन–पत्रों की प्राप्ति एवं निस्तारण दस्ती व्यवस्था से हो रहा है, जिस कारण ^igy vkvk] igy ikvk* के नियम की पारदर्शिता आदि प्रभावित होती है। अन्य राज्यों में अधिसूचित सेवाओं को प्रदान करने हेतु वहाँ सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग करते हुए ऑनलाईन व्यवस्था स्थापित की जा रही है। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित समस्त सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करते हुए उन्हें नागरिकों को ऑनलाईन प्रदान करने तथा लंबित प्रार्थना–पत्रों की ऑनलाईन–ट्रैकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार सेवाओं को प्रदान करने में पारदर्शिता के साथ–साथ दक्षता सुनिश्चित हो सकेगी और विलम्ब आदि की संभावनाएं शून्य प्रायः होंगी।

<u>lLrfr lñ 1 l 4 ij dk;okgh%</u> चूँकि उपरोक्त संस्तुतियों को माह फरवरी, 2016 में शासन को प्रेषित किया गया था, अतः आलोच्य वर्ष में यह संस्तुतियां शासन के विचाराधीन रहीं हैं। शासन से पत्राचार के उपरांत सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं॰: 1257/XLIII(1)/16–20(10)/2016, दि॰ 03.11.2016 प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार उपरोक्त संस्तुति सं॰ 1 से 3 पर कार्यवाही गतिमान है। संस्तुति सं॰ 4 के विषय में पुनः पत्राचार किया जा रहा है।

राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

आयोग द्वारा संदर्भित वर्षों में प्रेषित प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

- <u>iLrko&1</u>: आयोग के संगठनात्मक ढ़ाँचे का प्रस्ताव मुख्य आयुक्त के पत्राँक सं॰: 03/पी॰एस॰/मु॰आ॰से॰अ॰आ॰/2014, दि॰ 22 जुलाई, 2014 द्वारा सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग को प्रेषित किया गया, जिसमें विभिन्न स्तर के कुल 37 पद प्रस्तावित रहे।
  <u>कार्यवाही</u>: सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 482/XLIII(1)/15–20(05)14, दि॰ 30.03.2015 द्वारा वर्षान्त

2014–15 में आयोग के संगठनात्मक ढ़ाँचे को स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न स्तर के कुल 33 पद सृजित हुए।

- iLrko&2: मुख्य आयुक्त हेतु नये वाहन के क्रय का प्रस्ताव आयोग के पत्राँक सं.: 07/ पी.एस./मु.आयु.उ.से. का अधि./14, दि. 30 जुलाई, 2014 द्वारा सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग को प्रेषित किया गया।
  कार्यवाही: उक्त वाहन क्रय हेतु सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग के शासनादेश संख्याः 524/XLIII(1)/14–20(06)/2014, दि. 15.10.2014 तथा संख्याः 268/XLIII(1)/15–20(06)/2014, दि. 07.03.2015 द्वारा धनराशि अवमुक्त की गई।
- iLrko&3: सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग को पत्राँकः 166/ मु.आ.उ.से.अ.आ./वाहन–1/2015, दि. 14 जुलाई, 2015 द्वारा आयोग में तैनात आयुक्त के उपयोगार्थ नये वाहन क्रय का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
  कार्यवाही: सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग के शासनादेश सं.: 169/XLIII(1)/16–20(06)2014, दि. 30.03.2016 द्वारा पुर्नविनियोग की स्वीकृति जारी की गई, परन्तु नये वाहन क्रय की स्वीकृति के अभाव में वाहन क्रय नहीं किया जा सका।
- iLrko&4: सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग को पत्राँकः 356/15–03(19)/2015, दि. 14 दिसम्बर, 2015 द्वारा आयोग में सृजित पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
  कार्यवाही: सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग के शासनादेश सं.: 156/XLIII(1)/16–20(05)2014, दि. 04.02.2016 द्वारा आयोग में सृजित पदों की निरन्तरता 28 फरवरी, 2017 तक के लिए बढ़ाई गई है।
- iLrko&5: आयोग के पत्राँक संख्याः 38/आ.–व्य. 2015–16/उ.स.का. अधि./2014, दि. 15 दिसम्बर, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक का प्रस्ताव सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग को प्रेषित किया गया। तदोपरान्त पत्राँकः 172/मु.आ.उ.से.अ.आ./2(2)/ 2015, दि. 20 जुलाई, 2015 तथा 173/मु.आ.उ.से.अ.आ./2(2)/2015, दि. 20 जुलाई, 2015 द्वारा अनुपूरक माँगों का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
  कार्यवाही: सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग के शासनादेश संख्याः 589/XLIII(1)/15–20(10)2014, दि. 08.05.2015 तथा संख्याः 1038/XLIII (1)/15–20(10)2014, दि. 05.12.2015 द्वारा वित्तीय स्वीकृतियाँ आयोग को निर्गत की गईं।

- iLrko&6: आयोग को शास्ति अधिरोपित करने का प्राविधान कराने हेतु उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक का प्रस्ताव मुख्य आयुक्त के अर्द्ध०प०सं०: 72/16–15(06)/2016, दि० 18.02.2016 द्वारा सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग को प्रेषित किया गया।

  कार्यवाही: सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०: 1257/XLIII(1)/16–20(10)/2016, दि० 03.11.2016 के अनुसार इस प्रस्ताव पर कार्यवाही गतिमान है।

शिकायतों/प्रार्थना-पत्रों का पंजीकरण तथा निस्तारण

सर्वप्रथम आयोग के सामान्य कार्यों के प्रबंधन एवं व्यवहरण हेतु अधिनियम की धारा–17(4) के अंतर्गत ^mŸkjk[k.M lok dk vf/kdkj vk;kx ¼ic/ku½ fofu;e] 2015* को तैयार कर 26 अगस्त, 2015 से लागू किया गया। इस विनियम के अध्याय–3, विनियम सं०–4 के उप बिन्दु–(1) के क्रम में आयोग के सचिव को कार्यालय ज्ञाप सं०: 241/15–03(16)/2015, दि० 31 अगस्त, 2015 द्वारा आयोग को प्राप्त होने वाले मामलों के पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रार घोषित किया गया है।

आयोग को अधिसूचित सेवाओं से संबंधित तथा उनसे इतर मामलों के संबंध में नागरिकों से शिकायती प्रार्थना–पत्र प्राप्त होते हैं। अधिसूचित सेवाओं से संबंधित शिकायतों/प्रार्थना–पत्रों का पंजीकरण कर आयोग संबंधित पदाभिहित अधिकारियों/कार्यालयों से आवश्यक पत्राचार करते हुए यथा–आवश्यक सुनवाई की तिथियाँ निर्धारित कराकर प्रकरणों को निस्तारित करता है। अधिसूचित सेवाओं से इतर प्रकरणों को आयोग संबंधितों को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अंतरित करते हुए निस्तारित करता है।

आयोग को वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में प्राप्त कुल मामले एवं उनके सापेक्ष निक्षेपण का विवरण निम्नवत् है:–

तालिका-9: आयोग को प्राप्त मामले एवं उनका निस्तारण (वर्ष 2014 से वर्ष 2016 मार्च तक)

Ekkeyk dk idkj	dy	fuLrkfjr
(क) अधिसूचित सेवाओं से संबंधित	43	09
(ख) अधिसूचित सेवाओं से इतर	40	40
योग (क+ख)	83	49

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

आयोग के कार्यों की सूचना नागरिकों को सुलभता से उपलब्ध कराने हेतु तथा अधिनियम के व्यापक प्रचार–प्रसार के उद्‌देश्य से आयोग की वेबसाईट www.urtsc.uk.gov.in को बाह्य स्त्रोत से विकसित कराते हुये निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उसका तकनीकी ऑडिट सुनिश्चित किया गया। यह वेबसाईट एन॰आई॰सी॰ के साथ समन्वय स्थापित करते हुये एन॰आई॰सी॰ के सर्वर पर स्थापित की जा चुकी है। यह वेबसाईट हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में विकसित की गई है। वेबसाईट में निम्न महत्वपूर्ण सूचनाओं का समावेश है:–

तालिका-10: वेबसाईट के कुँजी-विषय एवं उनका संक्षिप्त विवरण

d¦th&fo'k;	Lkf{kIr fooj.k
मुख्य पृष्ठ	अधिनियम, आयोग तथा अधिसूचित सेवाओं के संबंध में सामान्य सूचना
परिचय	आयोग, उसके मुख्य कार्य, प्रदत्त शक्तियाँ, विजन–मिशन तथा सँरचनात्मक ढ़ांचा
अधिनियम और विनियम	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 तथा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 एवं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2015
अधिसूचित सेवायें	अधिसूचित सेवाओं की परिचयात्मक सूची–विभागवार अधिसूचित सेवाओं की संख्या तथा सूक्ष्म विवरण
सूचना का अधिकार	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत तैयार किये गये मैनुअल तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी का विवरण
अति–आवृतक प्रश्न	नागरिकों की सुविधा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर, जिससे कि वे सुविधापूर्वक अधिनियम के प्राविधानों को समझ सके तथा सेवा हेतु आवेदन करने, अपील करने एवं पुनरीक्षण/शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से रूबरू हो सकें
मासिक प्रगति प्रतिवेदन	मण्डलों से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण
विज्ञापित रिक्ति/निविदा	आयोग में रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापन/आवेदन–प्रारूप तथा निविदाओं के प्रदर्शन के लिए व्यवस्था
सम्पर्क विवरण	आयोग का पूरा पता, ई–मेल दूरभाष एवं फैक्स संख्या
d¦th&fo'k;	Lkf{kIr fooj.k
महत्वपूर्ण लिंक	संबंधित विभागों की वेबसाईट के लिंक, जिससे कि नागरिकों को विभागीय सेवाओं के संबंध मे जानकारी प्राप्त हो सके
उपयोगी लिंक	उत्तराखण्ड सरकार के पोर्टल, भारत सरकार के पोर्टल, समाधान, ई–डिस्ट्रिक्ट उत्तराखण्ड आदि के लिंक
प्रशिक्षण एवं पाठ्य सामग्री	आयोग द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षण एवं पाठ्य सामग्री तथा प्रस्तुतिकरणों के प्रदर्शन हेतु व्यवस्था
उत्तराखण्ड के जनपद	उत्तराखण्ड के जनपदों की वेबसाईट के लिंक
डाउनलोड	नागरिकों एवं शासकीय कार्मिकों के उपयोगार्थ अधिनियम, महत्वपूर्ण शासनादेश, अधिसूचित सेवाओं से संबंधित आदेश, आयोग के विनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत तैयार किये गये मैनुअल आदि से संबंधित ई–फाईल, जो डाउनलोड की जा सकती हैं
छायाचित्र गैलरी	विभिन्न आयोजनों के दौरान लिये गये छायाचित्रों के प्रदर्शन हेतु व्यवस्था

अध्ययन-भ्रमण

'सेवा का अधिकार' तथा अन्य राज्यों में स्थापित आयोगों की कार्यशैली, व्यवस्था आदि का अध्ययन करने के उद्देश्य से पंजाब राज्य के आयोग एवं दिल्ली के ई–एस॰एल॰ए॰ कार्यक्रम की संचालन व्यवस्था का अध्ययन–भ्रमण किया गया। इन अध्ययनों पर आधारित कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैः–

- i;tkc%

  पंजाब राज्य का सेवा का अधिकार अधिनियम मूलतः उत्तराखण्ड के अधिनियम से मेल खाता है। नागरिकों की सुविधा हेतु 'फर्द केन्द्र', 'सुविधा केन्द्र' तथा 'सांझ केन्द्र' को सामान्यतः एक ही भवन/परिसर में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह केन्द्र क्रमशः खसरा–खतौनी, विविध प्रमाण–पत्रों तथा सामुदायिक–पुलिस संबंधी सेवाओं के लिए कार्य करते हैं। अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के लिए ऑनलाईन अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) सॉफ्टवेयर बनाया गया है। आयोग को शास्ति लगाने का अधिकार प्रदत्त है।

- fnYyh%

  ई–एस॰एल॰ए॰ कार्यक्रम मूलतः विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त किये गये आवेदनों तथा उनके निस्तारण आदि से संबंधित कार्यों के अनुश्रवण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई ऑनलाईन व्यवस्था है। विलम्ब के लिए शास्ति लगाने तथा नागरिकों को मुआवजा देने का प्राविधान है। राज्य द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास जारी है कि ऑनलाईन अनुश्रवण व्यवस्था द्वारा ही शास्ति का आगणन किया जाय और नागरिकों के खातों में मुआवजा स्वतः हस्तांतरित किया जा सके।

अन्य कार्य

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–5(1) के अर्न्तगत आयोग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ः 14, दि॰ 19 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रथम बार लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को नामित किया गया। कार्मिकों के अभाव में की गई यह वैकल्पिक व्यवस्था अपर सचिव (संस्कृत शिक्षा) के पास आयोग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार रहने तक लागू रही। तत्पश्चात् आयोग में कार्मिक व्यवस्था किये जाने के उपरान्त आयोग के कार्यालय ज्ञाप सं॰ः 197/15–11(1)/2015, दि॰ 03 अगस्त, 2015 के द्वारा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी को नामित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत आवश्यक मैनुअल तैयार कराये

गये तथा प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों के निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। कार्यालय ज्ञाप सं॰: 189/16–11(1)/2015, दि॰ 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी तथा लोक सूचना अधिकारी आयोग में नामित हैं।

आयोग का कार्यालय वर्तमान में किराये के भवन से संचालित हो रहा है, जिसमें सीमित कक्ष उपलब्ध हैं, जो कार्य वृद्धि के साथ–साथ की जाने वाली कार्मिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं रहेंगे। अतः समय के साथ–साथ आयोग के स्थायी कार्यालय का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। आयोग ने इस ओर स्वयं पहल कर जिलाधिकारी, देहरादून से आवश्यक पत्राचार एवं समन्वय सुनिश्चित किया। संदर्भित अवधि में आयोग के कार्यालय भवनों हेतु भूमि आंवटन कराया जा चुका है।

बजट

वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में प्राविधानित बजट, उसके सापेक्ष अवमुक्त की गई धनराशि तथा व्यय का विवरण आदि निम्न तालिकाओं में प्रदर्शित किया जा रहा हैः–

तालिका–11: वर्ष 2014-15 का आय–व्ययक, आवंटन तथा व्यय का विवरण

Ekn	ikfo/kkfur /kujkf'k	vkofVr /kujkf'k	31-03-15 rd 0;;	vo'k"k@ lEkiZ.k
01 – वेतन	3000000	3000000	675386	2324614
02 – मजदूरी	1000	1000	0	1000
03 – महंगाई भत्ता	3500000	3500000	1279880	2220120
04 – यात्रा व्यय	200000	200000	0	200000
05 –स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1000	1000	0	1000
06 – अन्य भत्ते	1000000	1000000	221562	778438
08 – कार्यालय व्यय	1000000	1000000	471165	528835
09 – विद्युत देय	101000	101000	0	101000
10 – जलकर/जल प्रभार	26000	26000	0	26000
11 –लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	100000	100000	15153	84847
12 – कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000000	1000000	1000000	0
13 – टेलीफोन पर व्यय	151000	151000	29966	121034
14 – कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय	4501000	1248319	1248319	0
15 – गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	601000	601000	0	601000
16 – व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300000	300000	0	300000
17 – किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	1001000	1001000	64500	936500
18 – प्रकाशन	1000	1000	0	1000
19 – विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	51000	51000	26814	24186
22 – आतिथ्य व्यय	1000	1000	0	1000
27 – चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	101000	101000	19451	81549
42 – अन्य व्यय	400000	400000	0	400000
45 –अवकाश यात्रा व्यय	300000	300000	231204	68796
46 – कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय	501000	501000	270230	230770
47 – कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	201000	201000	0	201000
;kx	**18039000**	**14786319**	**5553630**	**9232689**

तालिका–12: वर्ष 2015-16 का आय–व्ययक, आवंटन तथा व्यय का विवरण

en	ikfo/kkfur /kujkf'k	vkofVr /kujkf'k	31-03-16 rd 0;;	vo'k"k@ lEki.k
01 – वेतन	13800000	13800000	1615449	12184551
02 – मजदूरी	500000	500000	10000	490000
03 – महंगाई भत्ता	16146000	16146000	3062560	13083440
04 – यात्रा व्यय	1200000	1200000	18227	1181773
05 –स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1000	1000	0	1000
06 – अन्य भत्ते	1518000	1518000	469740	1048260
08 – कार्यालय व्यय	1000000	1000000	345332	654668
09 – विद्युत देय	500000	500000	52652	447348
10 – जलकर/जल प्रभार	40000	40000	20051	19949
11 –लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	200000	200000	48398	151602
12 – कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3000000	3000000	1501854	1498146
13 – टेलीफोन पर व्यय	500000	500000	155711	344289
14 – कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय	1320000	1320000	0	1320000
15 – गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	680000	680000	148146	531854
16 – व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4000000	4000000	2805947	1194053
17 – किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	800000	800000	357974	442026
18 – प्रकाशन	500000	500000	297570	202430
19 – विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1000000	1000000	923198	76802
22 – आतिथ्य व्यय	100000	100000	18197	81803
27 – चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	300000	300000	160136	139864
42 – अन्य व्यय	500000	0	0	0
45 –अवकाश यात्रा व्यय	1000000	1000000	215093	784907
46 – कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय	1000000	1000000	895461	104539
47 – कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	500000	500000	48552	451448
;kx	**50105000**	**49605000**	**13170248**	**36434752**

विभागों/नागरिकों के उपयोगार्थ प्रकाशित बुकलेट/फोल्डर

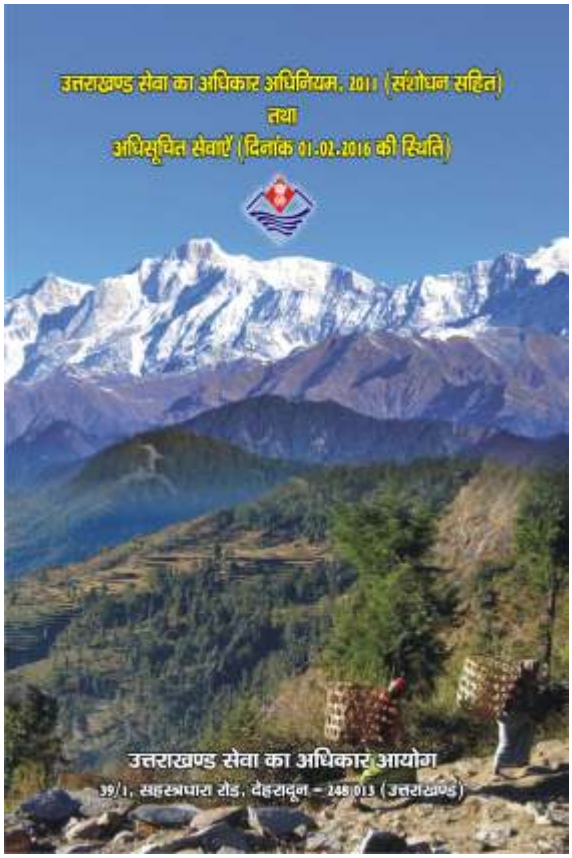

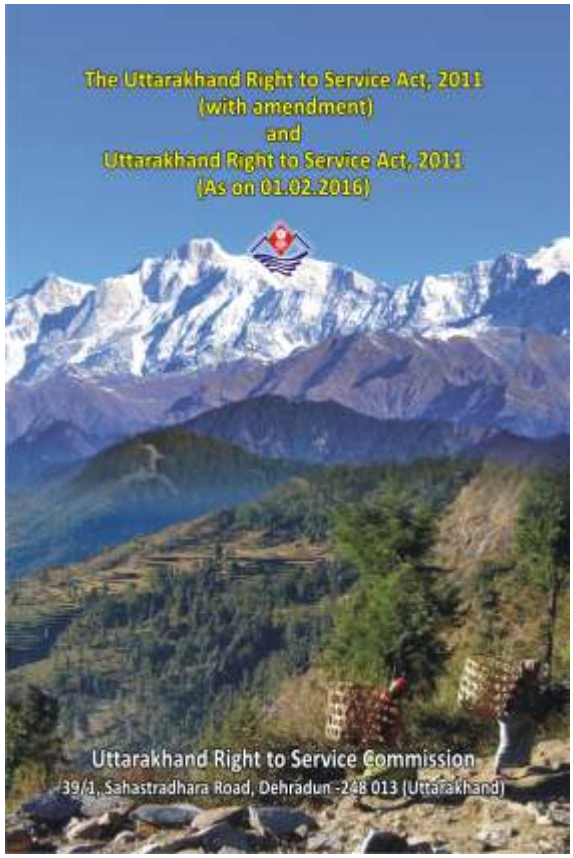

जिलाधिकारी कार्यालयों में लगवाये गये होर्डिंग्स

नागरिकों के सूचनार्थ समाचार–पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
39/1, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248013
फोन-0135-2608974 तथा फैक्स-2608973